Government of Rajasthan Home (Gr.V) Department

No.F. 9(16)Home-5/2020

Jaipur, Dated: 21.05.2020

Notification

In continuation of this department's notification even number dated 03.05.2020 and 12.05.2020, in exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020 (Ordinance No. 1 of 2020), the State of hereby also authorizes all officers Municipal Government Corporation/Council/Board not below the rank of Revenue Inspector, within their respective jurisdiction, to compound the offences committed under section 4 of the said Ordinance, by violating the order or regulation prohibiting the specified in column 2 of the schedule given below for the amount specified against each of them in column 3 of the said schedule.

Schedule

S.N.	Offence	Amount in Rupees for which the offence is to be compounded
1	2	3
1.	Any person not wearing face mask or face cover (nose and mouth covered properly) in public or work place	Rs. 200/-
2.	Selling any item by a shopkeeper to a person not wearing face mask or face cover	Rs.500/-
3.	Any person found selling paan, gutka or tobacco	Rs. 1,000/-
4.	Any person not maintaining social distancing (minimum 6 feet from the other person) in public place	Rs. 100/-

By order of the Governor,

(Rajeeva Swarup)

Additional Chief Secretary to the Government.

Copy for information and necessary action to the following:-

1. Secretary to Governor, Rajasthan.

2. Principal Secretary to Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.

3. Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.

4. All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Rajasthan.

5. Principal Secretary, Law (Codification), Rajasthan, Jaipur.

6. Director General of Police, Rajasthan, Jaipur.

7. All Divisional Commissioner, Rajasthan, Jaipur.

8. All Inspector General of Police/Deputy Inspector General of Police, Range.

9. Commissioner of Police, Jaipur/Jodhpur.

10. Director, Prosecution, Rajasthan, Jaipur. 11. All Collectors and District Magistrates, Rajasthan.

12. All Distt. Superintendents of Police/DCPs of Jaipur/Jodhpur. 13. Director, Information and Public Relation Department for its wide publicity.

14. The Superintendent, Government Central Press, Jaipur.

(Ravi Sharma)

Sr. Deputy Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-5) विभाग

सं. एफ. 9(16)गृह-5/2020

जयपुर, दिनांक: 21.05.2020

अधिसूचना

राजस्थान महामारी अध्यादेश. 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1) की धारा 11 दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 एवं 12.05.2020 की निरन्तरता में राज्य सरकार, राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रैंक के नगर निगम/परिषद/पालिका के समस्त अधिकारियों को, भी नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट कृत्यों को प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश या विनियम के अतिक्रमण द्वारा उक्त अध्यादेश की धारा 4 के अधीन कारित अपराधों का, उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट रकम पर शमन करने हेतु, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, इसके द्वारा प्राधिकृत करती है:-

अनुस्ची

क्र.सं.	अपराध	रुपये में रकम, जिसके लिए अपराध का शमन किया जाना है
1	2	3
1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्य स्थल पर फेस मास्क	200/- रुपये
	या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से दका	
	हो) नहीं पहने हुए हो।	500/- रुपये
2.	कोई •दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का	000/
	विक्रय करना।	
3.	कोई टंयक्ति जो पान, गुटका या तम्बाक् का विक्रय करता	1000/- रुपये
	हुआ पाया जाने पर।	400/
4.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य	100/- रुपये
	व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है।	

राज्यपाल के आदेश से,

अतिरिक्त मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
- 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4. समस्ते अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5. प्रमुखै शासन सचिव, विधि (संहिताकरण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 8. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस, रेंज।
- 9. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
- 10. निदेशक, अभियोजन, राजस्थान।
- 11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर, राजस्थान।
- 12. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस, जयपुर/जोधपुर।
- 13. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार करने हेतु।

14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर्।

वरिष्ठ शासन उप सचिव।